संख्या– /VI-I/ 2005–5 (4) 2005

प्रेषक,

अनिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक–26 नवम्बर, 2005

विषयः– डडवा देवी जनपद पौड़ी गढ़वाल में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या– 1320/सात–749/2004–2005 दिनांक– 17 मार्च 2005 के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल अर्न्तगत डडवा देवी स्थान में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु आंगणन की टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 26.00 लाख (रू0 छब्बीस लाख मात्र) के आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 13.00 लाख (रू0 तेरह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के आधार पर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षक अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षक अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. यह स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि खेल विभाग की उक्त भूमि युवा कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दी गयी है।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाये।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8(ए) निर्माण सामग्री को प्रयोग न लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुर्क्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3. किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायै उपकरणों का कय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

4. व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है।

5. उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण देने के बाद ही आगामी अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगा।

6. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00 आयोजनगत–001–निदेशन तथा प्रशासन–07–ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या– 60/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/2005, दिनांक–21 नवम्बर 2005 में प्राप्त उनकी सहमति की दशा में प्राप्त किए जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 165 /VI-I/समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3, उत्तरांचल, देहरादून।
6. एन0आई0सी0, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. जिलाधिकारी पौड़ी, उत्तरांचल।
9. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव